


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:-कार्यालय-आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(40)शिक्षा-2/2020 जयपुर, दिनांक 06.07.2021 द्वारा श्रीमती रेखा खोईवाल, व्याख्याता भूगोल, राजमावि. गिलूण्ड, चित्तौड़गढ़ का परिवीक्षाकाल में 90 दिवस से अधिक लिये गये 22 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के क्रम में राजस्थान सेवा नियम 96 के तहत असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	31.10.2017 से 08.11.2017	09 दिन
	27.06.2018 से 30.06.2018	04 दिन
	30.07.2018 से 01.08.2018	03 दिन
	04.09.2018 से 05.09.2018	02 दिन
	29.01.2019 से 30.01.2019	02 दिन
	08.03.2019 से 09.03.2019	02 दिन
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	22 दिवस

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.08.2020 द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'परिपत्र' दिनांक 11.06.2014 एवं संशोधित 'मैमोरेण्डम' प्रावधानानुसार कार्मिक द्वारा बढी हुई परिवीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (60+22) 82 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/अवकाश/प्रोबेशन ट्रेनी/18-19

दिनांक:- 23/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर